राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1380/2025

अनिल मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
3. जिला कलक्टर, करौली।
4. तहसीलदार, तहसील करौली, जिला करौली।
5. मुकेश चन्द शर्मा, भू अभिलेख निरीक्षक, वृत्त लांगरा, तहसील मण्डरायल, जिला करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.01.2025
आदेश की दिनांक : 27.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति जनवरी 2011 में पटवारी के पद पर हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में भू अभिलेख निरीक्षक के पद पर वृत्त करौली, जिला करौली में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वृत्त करौली, जिला करौली से ऑफिस कानूनगो, तहसील मण्डरायल में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त स्थानांतरण जिला कलक्टर करौली द्वारा किया गया है। उनका कथन है कि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा समस्त जिला कलक्टरों को परिपत्र दिनांक 30.10.1993 प्रेषित किया गया था जिसमें यह निर्देश दिए गए थे कि जिले में कार्यरत पटवारियों का दो वर्ष से पूर्व स्थानांतरण करना आवश्यक हो तो उनका पूर्ण औचित्य बताते हुए सम्भागीय आयुक्त से अनुमति प्राप्त की जावे एवं अनुमति के पश्चात् ही स्थानांतरण आदेश जारी किए जावे। उनका आगे कथन है कि राजस्व मण्डल के उपरोक्त दिशा–निर्देशों की अवहेलना करते हुए अपीलार्थी का स्थानांतरण एक हलके से दूसरे हलके में 2 वर्ष से पूर्व ही सम्भागीय आयुक्त की अनुमति प्राप्त किए बिना किया गया है। ऐसे में स्थानांतरण आदेश स्थगित रखा जावे।

3. अपील में अपीलार्थी ने यह आधार लिया है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण बिना सम्भागीय आयुक्त की अनुमति के 2 वर्ष पूर्व ही किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के संबंध में स्थानांतरण का औचित्य दर्शित किया जाना भी आवश्यक था, जो दर्शित नहीं किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि ऐसा ही मत माननीय अधिकरण के अपील संख्या 646/2024 महिपाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.03.2024 (अनुलग्नक–4) एवं अपील संख्या 1674/2024 बृजेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.04.2024 (अनुलग्नक–5) द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता का कथन रहा है कि अपीलार्थीगण का स्थानांतरण प्रशासनिक कारणों से किया गया है। चुंकि प्रशासनिक कारण होना स्थानांतरण आदेश में अंकित किया गया है। ऐसे में स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण के संबंध में संतुष्टी दर्ज होना माना जा सकता है। ऐसे में अपीलार्थीगण का स्थानांतरण राजस्व मण्डल के दिशा–निर्देशों के विरूद्ध होना नहीं माना जा सकता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बहस के दौरान अवगत कराया गया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 53/2020 गोपालाराम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में जिला कलक्टर द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश को उचित माना है।

5. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया।

6. इन अपीलों में आलौच्य स्थानान्तरण आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि आलौच्य स्थानान्तरण आदेश 2 वर्ष की कम अवधि में जिला कलक्टर द्वारा जारी किए गये है एवं इनको जारी करने से पूर्व जिला कलक्टर द्वारा राजस्व मण्डल के परिपत्र दिनांक 30.10.1993 की अनुपालना नहीं की है एवं संभागीय आयुक्त से अनुमति लिए बिना आलौच्य आदेश जारी किए गए है।

7. माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण समयसिंह मीणा बनाम राजस्थान राज्य (2024 0 Supreme(Raj)851) निर्णित दिनांक 09.07.2024 में पटवारियों के स्थानांतरण के संबंध में परिपत्र दिनांक 30.10.1993 के संबंध में यह माना है कि उक्त दिशा–निर्देश आज्ञापक प्रकृति के नहीं है, वो केवल स्थानांतरण नीति होना माना जा सकता है। उक्त निर्णय में यह भी माना गया है कि स्थानांतरण राजकीय सेवा का एक भाग एवं सरकार प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए नियमानुसार अपने कर्मचारी का स्थानांतरण कर सकती है ताकि ठीक प्रकार से प्रशासन व्यवस्था रखी जा सके।

8. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने डी.बी.स्पेशल रिट संख्या 53/2020 गोपालाराम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2020 में Reportable निर्णय को निम्नानुसार प्रतिपादित किया हैः–

"13. Admittedly, the transfer of a Patwari from one place to another within the Sub-Division, District, Division or State is regulated by Rule 9 of the Rules of 1957 which nowhere restricts the transfer of a Patwari prior to completion of a particular period of posting at a particular place. The circular/instructions issued by the State Government providing for transfer of Patwari after completion of the tenure of two years, are in the nature of guidelines not enforceable and cannot be construed in the manner suggested so as to put absolute restriction on the power to be exercised by the authorities enumerated under Rule 9 to transfer a Patwari for administrative exigency or ther contingencies specified. In other words, notwithstanding the instructions issued by the State Government as aforesaid, the authority empowered can transfer a Patwari at any time for administrative exigency in accordance with Rule 9 of the Rules. It is a different matter that even otherwise in absence of administrative exigency, an employee holding the transferable post cannot be frequently transferred by his employer at his whims and fancy, but on the facts and in the circumstances of the case, in no manner, it can be inferred that the appellant has been transferred without there being any administrative exigency and it is not even the case of the appellant that he has been subjected to frequent transfer.

14. In view of the discussion above, we are in agreement with the view taken by the learned Single Judge of this Court.

15. No case for interference by us in intra court appeal jurisdiction is made out.

16. The special appeal is, therefore, dismissed. No order as to costs."

9. प्रकरण शिल्पी बोस एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (1991 Supp (2) SCC 659) में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया है :–

"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer Order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer Orders are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day

transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest. The High court over looked these aspects in interfering with the transfer orders."

10. अतः उपरोक्त न्यायिक को दृष्टिगत रखते हुए हम पाते है कि सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक आधार पर किए गए स्थानांतरण आदेश को परिपत्र दिनांक 30.10.1993 के आधार पर विधि–विरूद्ध होना नहीं माना जा सकता है क्योंकि अपीलार्थी का स्थानांतरण नियमानुसार प्रशासनिक कारणों से किया गया है। परिपत्र दिनांक 30.10.1993 केवल मात्र दिशा–निर्देश है, आज्ञापक प्रकृति के नहीं है।

11. अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी के स्थानांतरण के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा संतुष्टी दर्ज नहीं की गई है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 3224/2024 भंवर लाल जाट बनाम राजस्थान राज्य में निर्णय दिनांक 01.03.2024 का अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में पटवारियों के स्थानांतरण के संबंध में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है।:–

"4. So far as the ground of the satisfaction of the officer passing the order is concerned, a Division Bench of this Court in the case of Gopalram vs State of Rajasthan and Anr.; D.B. Spl. Appl. Writ No.53/2020 (decided on 28.01.2020) has held as under:
"12. Coming to the contention of the appellant that the transfer order issued by the District Collector is violative of provisions of Rule 9 (II) and Rule 412, a conjoint reading of Rule 9 and Rule 412 indicates that a Patwari should not be ordinarily transferred, but then, he can always be transferred when considered necessary in the interest of efficiency of work or to fill up vacancy created by long leave, resignation, dismissal, suspension or transfer of the Patwari. Suffice it to say that besides for administrative exigency, a Patwari can be transferred even to fill up the vacant post created on account of various contingencies enumerated. Thus, on account of administrative exigency, inter-alia to fill up the vacant posts, if number of employees holding the post of Patwaris are transferred within the District, in no manner, it can be said that the order impugned passed by the District Collector without recording the satisfaction regarding necessity in the interest of efficiency of work, is violative of provisions of Rule 9 (ii) and Rule 412 of the Rules of 1957. As a matter of fact, the order impugned by itself reflects that the transfers have been effected for administrative exigency to fill up the vacant posts."

5. In the opinion of this Court, the satisfaction in terms of Rule 9(2) is to be spelt out from the transfer order itself and the term 'satisfaction' cannot be stretched to the extent that the officer concerned would be required to give out detailed specifications as to in what terms and manner, the officer has satisfied himself. The term 'in administrative

exigency' or 'for administrative reasons' necessarily implies the satisfaction regarding necessity in the interest of efficiency of work."

12. माननीय उच्च न्यायालय ने अन्य प्रकरण एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 4589/2024 प्रवीण कुमार बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2024 में संतुष्टी के संबंध में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

> 6. This Court is of the clear opinion that the order impugned. passed in the interest of the State for administrative reasons, can definitely be termed to be a satisfaction of the officer concerned. As held by this Court in the case of Bhanwar Lal Jaat vs. State of Rajasthan & Anr.; S.B. Civil Writ Petition No.3224/2024 (decided on 01.03.2024), satisfaction in terms of Rule 9(ii) of the Rules of 1957 is to be spelt out from the transfer order itself and the term 'satisfaction' cannot be stretched to the extent that the officer concerned would be required to give out detailed specifications qua every employee, as to on what terms and in what manner the officer has satisfied himself. The terms 'in administrative exigency' or 'for administrative reasons' necessarily implies the satisfaction regarding necessity in the interest of efficiency of work.
>
> This Court also finds support from the Division Bench judgment in the case of Gopalram (supra) wherein it was specifically observed that on account of administrative exigency, inter-alia to fill up the vacant posts, if number of employees holding the post of patwaries are transferred within the district, in no manner, it can be said that the order impugned passed by the District Collector without recording the satisfaction regarding necessity in the interest of efficiency of work is violative of provisions of Rule 9(ii) of the Rules of 1957."

13. अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर किए गए स्थानांतरण में संतुष्टी अंतर्निहित है। वर्तमान में अपीलार्थीगण का प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण किया गया है जिससे प्रकट होता है कि सक्षम अधिकारियों द्वारा अपनी संतुष्टी के पश्चात् ही स्थानांतरण आदेश पारित किया गया है।

14. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम अपीलार्थी के संबंध में पारित स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य